उल्लेखनीय है कि श्री नारंग की जन्मतिथि 18.02.1962 है। ऊर्जा निगमों में निदेशक पद हेतु शर्तो में अधिकतम आयु पूर्व में 62 वर्ष निर्धारित थी, किन्तु नवीन सेवा शर्तो में अधिकतम आयु 65 वर्ष प्राविधानित है। अतः नवीन शर्तों के अधीन वह निदेशक पद धारण हेतु पात्र हैं। जैसा कि ऊपर विदित है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण (critical) है। ऐसे में इस पद पर पूर्णकालिक अधिकारी को ही तैनात किया जाना आवश्यक है। इस पर part-time या additional charge पर किसी अधिकारी को दायित्व दिया जाना कार्यहित में नहीं होगा।

इस हेतु निम्न बिन्दुओं पर भी विचार करना चाहें:-

1. शासन द्वारा शासनादेश संख्या I/933828/2025, दिनांक 09.04.2025 द्वारा निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पद पर श्री पुरूषोत्तम अग्रवाल का चयन किया गया था। श्री अग्रवाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थता व्यक्त की गई।
2. शासन द्वारा निदेशक पद की चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है एवं आवेदन पत्र शासन को प्राप्त हो गए हैं। चयन प्रक्रिया एवं चयनित व्यक्ति के योगदान देने में 4-6 माह का समय लग सकता है।
3. उपरिलिखित कारणों से नियमित निदेशक (वित्त) की तैनाती वर्तमान परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में अत्यन्त आवश्यक है। अन्यथा की दृष्टि में वर्तमान रिफार्म की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होने की पूर्ण सम्भावना होगी।

अतः उक्त के दृष्टिगत पुनः अनुरोध है कि श्री निधि कुमार नारंग, वर्तमान निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को छः माह की अवधि अथवा नए निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पद पर कार्य विस्तार पुनः प्रदान करने का कष्ट करें।

कृपया कार्यालय पत्रांक 188/पीएससीएच/2025 दिनांक 14.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से श्री निधि कुमार नारंग, निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को छः माह की अवधि अथवा नए निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पद पर कार्य विस्तार पुनः प्रदान करने करने का अनुरोध किया गया है। इसके क्रम में ऊर्जा अनुभाग-2 के कार्यालय पत्रांक 24-2001(099)/1/2024-ऊर्जा अनुभाग-2-ऊर्जा विभाग I/1041434/2025 दिनांक 30.07.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन स्तर पर उक्त प्रस्ताव का औचित्य नहीं पाया गया गया है व श्री नारंग का कार्य विस्तार अब संभव नहीं है।

संज्ञानित है कि शासनादेश संख्या I/933828/2025, दिनांक 09.04.2025 द्वारा निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0 के पद पर श्री पुरूषोत्तम अग्रवाल का चयन किया गया था। श्री अग्रवाल द्वारा कार्यभार ग्रहण न किये जाने के दृष्टिगत, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पत्र संख्या-113/पीएससीएच/2025 दिनांक 15.05.2025 द्वारा की गई संस्तुति पर श्री निधि कुमार नारंग, निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-24-2001(099)/1/2024-ऊर्जा अनुभाग-2-ऊर्जा विभाग-Part(1) I/1/972234/2025 दिनांक 23.05.2025 द्वारा 03 माह की अवधि के लिए कार्यविस्तार प्रदान किया गया जो दिनांक 17.08.2025 को समाप्त हो रहा है। अतः दिनांक 18.08.2025 को निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का पद रिक्त हो जाएगा।

अवगत ही है कि ऊर्जा विभाग के विभिन्न निगमों यथा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0 लि0 के निदेशक के 15 पदों हेतु विज्ञापन सं0 01/2025 के माध्यम से चयन प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है तथा निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का पद भी वर्णित चयन प्रक्रिया में सम्मिलित है।

उक्त के सन्दर्भ में सादर यह भी अवगत कराना है कि:-

1. श्री निधि कुमार नारंग अत्यन्त ही सक्षम, कार्यकुशल एवं पावर सेक्टर में विभिन्न कम्पनियों में कार्य कर चुके दक्ष अधिकारी हैं। इनके द्वारा पूर्व में NTPC, MB Power (MP) Ltd., Punj Lloyd Group, Hindustan Power projects Pvt Ltd. एवं Reliance Infrastructure Ltd. कम्पनियों के वित्त क्षेत्र में वरिष्ठ पदों पर कार्य किया गया है। उक्त के फलस्वरूप इनके द्वारा समस्त वित्तीय Stakeholders जैसे कि जेनरेटर्स/Independent Power Producers (IPPs)] PFC, REC तथा बैंकों से समन्वय

अत्यन्त सकारात्मक रूप से किया जा रहा है तथा इसका लाभ उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को प्राप्त हो रहा है।

2. अवगत कराना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को ऊर्जा निजी निवेश प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं 24-4010(099)/1/2024 I/837171/2024 दिनांक 30.12.2024 के द्वारा वृहद रिफार्म की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि ट्रान्जैक्शन एडवाइजर का चयन हो चुका है तथा उनके द्वारा विद्युत वितरण निगमों के वृहद अध्ययन, बैलेंस शीट इत्यादि की सूचना संकलित की जा रही जिसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत अनुभवी निदेशक (वित्त) की तैनाती अवश्यक होगी इस लिए नए निदेशक (वित्त) की तैनाती तक श्री नारंग का निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पद पर बने रहना उचित होगा।

3. विद्युत वितरण निगमों के प्रस्तावित वृहद रिफार्म की रूपरेखा में निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की अत्यन्त ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में शासन द्वारा जो भी रूपरेखा अन्तिम की जाती है, उसे तैयार एवं क्रियान्वित कराने में निदेशक (वित्त) की नितान्त आवश्यकता एवं भूमिका होगी, क्योंकि किसी भी वृहद रिफार्म में निगमों के asset valuation, balance sheet बनाने, equity की गणना, इत्यादि का कार्य अत्यन्त ही महत्वपूर्ण होगा। डाटा कलेक्शन, चयनित टी.ए. के साथ समन्वय स्थापित कर समस्त सूचनाओं को ससमय उपलब्ध कराना, रेग्यूलेटर के साथ समन्वय करना, ऑडिटर के माध्यम से सही बैलेन्स शीट एवं assets का आंकलन कराना इत्यादि कार्य का दायित्व मुख्यत निदेशक (वित्त) का होगा। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा अन्य ऊर्जा निगमों में तैनात किसी भी अन्य निदेशक (वित्त) के पास इस प्रकार का अनुभव नही है, अत श्री नारंग इस प्रकिया के महत्वपूर्ण अंग होंगे।

4. निजीकरण हेतु उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्तर पर ड्राफ्ट स्ट्रैटजी पेपर एवं समस्त प्रपत्र बना लिए गए है तथा उक्त को एनर्जी टास्क फोर्स/इम्पावर्ड कमेटी के सम्मुख 16.05.2025 को प्रस्तुत किया गया है। इम्पावर्ड कमेटी के द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में समस्त अभिलेख तैयार कर राज्य सरकार द्वारा माननीय नियामक आयोग को प्रेषित किये गये है तथा माननीय आयोग द्वारा उक्त डॉक्यूमेंट पर अपनी अंतरिम टिप्पणी राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रपत्रों पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का मत मांगा गया है। उल्लेखनीय है कि माननीय नियामक आयोग द्वारा अपनी टिप्पणी में निजीकरण की प्रक्रिया में, नई विद्युत वितरण निगमों की प्रस्तावित बैलेंस शीट के संबंध में विस्तृत टिप्पणी की है तथा उक्त के संबंध में Ind AS, Companies Act तथा रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए माननीय नियामक आयोग को उत्तर देना प्रस्तावित है। निजीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने में एक वर्ष का समय लगना स्वाभाविक है एवं ऐसी स्थिति में श्री निधि कुमार नारंग, जो कि इस कार्य से अभिन्न अंग रहे है, को निदेशक (वित्त) के पद पर नियमित चयन होने तक, तैनात किया जाना उक्त रिफार्म हेतु अति आवश्यक है।